प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 102/2023 (अपील सूचना का अधिकार)

राजेन्द्र सिंह सोनीगरा पताः पोस्ट सारंगपुरा (भीण्डर), तहसील–कानोड़, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 18/09/2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329318785132851 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 16.07.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 5612515979 दिनांक 23.08.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/102/23/2023/1108–09 दिनांक 23.08.2023 से लिखा गया, जिसकी पालना में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कानोड़ द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2023/780–782 दिनांक 12.09.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना चाहने हेतु उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर को पोर्टल पर ऑनलाईन ओदवन किया गया था। जिनके द्वारा उक्त सूचना उपखण्ड कार्यालय भीण्डर से संबंधित होने के कारण उपखण्ड अधिकारी भीण्डर को पत्र क्रमांकः आर.टी.आई./2023/120 दिनांक 05.07.2023 द्वारा पत्राचार किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी भीण्डर द्वारा उक्त सूचना को उपलब्ध करवाने हेतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को संदर्भित पत्र क्रमांक द्वारा निर्देशित किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी श्री सोनीगरा द्वारा चाही गई सूचना तैयार करवाई जा रही है, जो तैयार कर प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जायेगी

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा कोई जवाब पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड़ द्वारा प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध उपखण्ड अधिकारी भीण्डर से होने से उपखण्ड अधिकारी भीण्डर को जरिये पत्रांक 120 दिनांक 05.07.2023 से अंतरण किया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के अनुसार "धारा 5 की उप–धारा (2) के परन्तुक या धारा 6 के उप–धारा (3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी, धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र और किसी भी दशा में, अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर, या तो ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाये, सूचना देगा या धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किसी भी कारण से अनुरोध को नामंजूर करेगा।"

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

परन्तु सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखते हुए अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का अंतरण नियमित समयावधि उपरांत किया गया है

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना उसे नियमानुसार निशुल्क 15 दिवस में उपलब्ध करावें तथा की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे। साथ ही प्रत्यर्थी को हिदायत दी जाती है कि वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रदत्त नियमों की पालना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में नियत समयावधि में वांछित सूचनाएँ नियमानुसार उपलब्ध करावे एवं अपील में भी नियत समय में प्रत्युत्तर प्रस्तुत करें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपीलीय अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर